

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

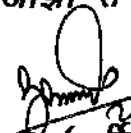
क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1632 / 2021 दिनांक 22.07.2021

श्री सुरेशचन्द बंसल (RJ0251), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को दिनांक 24.06.2021 से 03.07.2021 तक 10 दिनों का परावर्तित अवकाश (ग्रीष्मावकाश की निरन्तरता में) स्वीकृत किया जाता है ।

श्री बंसल की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4) 66/1996/4672

दिनांक : 22.07.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को उनके पत्रांक 41 दिनांक 05.07.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सुरेशचन्द बंसल (RJ0251), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा ।



सहायक रजिस्ट्रार